न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 957–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–12–2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील व जिला उज्जैन प्रकरण कमांक 04/अ–70/2015–16.

फिदा हुसैन पिता ईस्माईल
निवासी ग्राम ब्यावरा
तहसील व जिला उज्जैन .....आवेदक

विरूद्ध

1– शेर मोहम्मद पिता दाउद
2– बाबु पिता ईस्माईल
3– कल्लु पिता मुंशी
4– रफीक पिता मुंखी
5– एहसान पिता बाबु
6– इब्राहिम पिता बेली
7– मुंशी पिता ईस्माईल
8– अरब अली पिता फिदा हुसैन
निवासीगण ग्राम ब्यावरा
तहसील व जिला उज्जैन .....अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, तहसील व जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 शेर मोहम्मद द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला उज्जैन के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस

आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम ब्यावरा स्थित सर्वे कमांक 214/2 रकबा 0.140 हेक्टेयर उसके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है और उक्त भूमि के पास ही शासकीय भूमि सर्वे कमांक 213 स्थित है । अनावेदक कमांक 1 के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि के दक्षिण भाग पर पूर्व से पश्चिम 30 फीट तथा उत्तर से दक्षिण 100 फीट भूमि आवेदक सहित अनावेदक कमांक 2 लगायत 8 एवं जाकिर पिता फिदा हुसैन द्वारा कब्जा कर लिया गया है, अतः उनका कब्जा हटाया जाकर उसे कब्जा वापिस दिलाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 04/अ–70/2015–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक फिदा हुसैन आदि द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 14–12–2016 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 की कार्यवाही करने का कोई आधार मौजूद नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में, वाद कारण का अभाव होने से प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं था, जिस पर कोई विचार नहीं करने में नायब तहसीलदार द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों का उनके पूर्वजों के समय से मकान बने होने का ज्ञान अनावेदक कमांक 1 को भलीभांति था, किन्तु उसके द्वारा असत्य आधारों पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और जिसके आधार पर कार्यवाही करने में तहसील न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की जा रही है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार को 100 वर्ष का कब्जा हटाने की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है, जिस पर आवेदक सहित अन्य अनावेदकगण द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, अतः नायब तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय

द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है, क्योंकि उक्त आवेदन पत्र में जो आधार उठाये गये हैं, वे साक्ष्य से सिद्ध नहीं हैं और संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार तहसील न्यायालय को प्राप्त है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न आवेदक फिदा हुसैन आदि द्वारा प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के आवेदन पत्र को देखने से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन में उठाये गये आधार अर्थहीन है । आवेदक द्वारा उक्त आवेदन पत्र में उठाये गये आधारों को साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया है और संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार तहसील न्यायालय को प्राप्त है । उपरोक्त स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, तहसील व जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर